2018/01552

APP-A
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत .... नियम ....

वादी - बरकतखां बनाम प्रति॰ सरकार

किस्म मुकदमा 88 R.T.A नं. 118 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.6.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प तिलवाड़ा मे पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा मौके व राजस्व रेकर्ड की बिन्दुवार जांच रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 28/6/18 को पेश हो। (भागीरथ राम) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा कैम्प......	बरकत खां हुसैन
28/6/18	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा से रिपोर्ट अप्राप्त। वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तिलवाड़ा के ख॰नं॰ 962/58 रकबा 3.10 बीघा, हुसैन खां पुत्र मामू खां मोयला मुसलमान अध्यक्ष मोयला मुसलमान समाज तिलवाड़ा व हाजी खां पुत्र रसूल खां जाति मुलतानी पठान अध्यक्ष पठान मुसलमानं समाज तिलवाड़ा तह॰ पचपदरा जिला बाड़मेर के नाम	

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नं. अहकाम की तामील

क्र.सं. 1558 दिनांक 6/1/17 रु.न. 1000 मुताबिक
क्रेता का नाम हुसैन खां पुत्र मग्रू खां
अध्यक्ष मोयला मुसलमान को प्रयोजन
बख्शीसनामा के प्राप्त हुआ है। जिसमें
वादी का हक खातेदारी भूमि का है
उक्त खातेदारी भूमि बिना मूल्य प्राप्त
किये बख्शीश की है। क्यों की उक्त
खातेदारी भूमि मोयला मुसलमान व
मुल्तानी पठान मुसलमान समाज
कब्रिस्तान के उपयोग मे पूर्व मे
आ रही है। जिसमें वादीगण ग्राम
तिलवाड़ा के ख०न० 962/38 रकबा
3.10 बीघा भूमि की खातेदारी सार्वजनिक
कब्रिस्तान मुसलमान समाज के नाम दर्ज
करवाना चाहते है।

हमने पत्रावली व पत्रावली में संलग्न
दस्तावेज बख्शीसनामा, जमाबन्दी संवत 2072-75
व बयानमर्जी बरकतखां, हुसैन खां के
साक्ष्य बयान जिनमें वादी बरकत खां,
हुसैन खां ने जाहिर किया की उपरोक्त
खसरान की भूमि जरिये म्यूटेशन कब्रिस्तान
मोयला मुसलमान व मुल्तानी पठान
मुसलमान समाज तिलवाड़ा के नाम दर्ज हो
थी इसे अब हम समाज के अध्यक्ष
व मुख्या ख०न० 962/38 रकबा 3.10 बीघा
भूमि की खातेदारी सार्वजनिक कब्रिस्तान
मुसलमान समाज तिलवाड़ा के नाम दर्ज
करवाने चाहते है। का अवलोकन व
अध्ययन किया। जिनमें वादी हुसैन खां

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पुत्र मांगू खां अध्यक्ष मोपला मुसलमान वक्फीनकर्ता के इन्द्राज अराजी में से नाम हटाया जाकर, सार्वजनिक कब्रिस्तान मुसलमान समाज के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिए जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (भागीरथ राम) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018 उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा कैम्प.. [illegible]	